न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/110 **दायरा दिनांक : 13.07.2022**

उनवान

1 सुनीता पुत्री श्री शिव प्रसाद जी, पत्नी श्री गणेशराम जी, जाति जाट, निवासी ग्राम गणेशखेडा पोस्ट लुहावद, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
2 हेमलता पुत्री श्री शिव प्रसाद जी पत्नी श्री रामराज जी, जाति जाट, निवासी ग्राम मालिकपुरा पोस्ट नोताडा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
3 कमलेश पुत्री श्री शिव प्रसाद जी पत्नी श्री लालवीर जी, जाति जाट, निवासी ग्राम गणेशखेडा पोस्ट लुहावद, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
4 सन्जू पुत्री श्री शिव प्रसाद जी पत्नी श्री घासीलाल जी, जाति जाट, निवासी ग्राम बडून्दा पोस्ट बाजड, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
5 मनीषा पुत्री श्री शिव प्रसाद जी पत्नी श्री भागीरथ जी, जाति जाट, निवासी ग्राम ढीकरियाकलां, पोस्ट बाजड, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

.... अपीलांट

बनाम

1 शिव प्रसाद पुत्र किशोरीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम दीलोदहाथी, तहसील अटरू, जिला बारां
2 चांद बाई पुत्री किशोरीलाल पत्नी छीतरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम दीलोदहाथी, तहसील अटरू, जिला बारां हाल निवासी ग्राम गणेशखेडा पोस्ट लुहावद, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से।
श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 29.12.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिमियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 153/2021 के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट शिवप्रसाद ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 एल0 आर0 एक्ट0 पेश कर यह कथन किया कि वाके ग्राम एवं माल दीलोदहाथी, तहसील अटरू की खाता संख्या 548 का ख0 नं0 1008 का रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 1016 का रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 1506 का रकबा 0.52 है0, ख0 नं0 1508/2114 का रकबा 0.08 है0, ख0 नं0 1510 का रकबा 2.17 है0, ख0 नं0 1512 का रकबा 6.24 है0, ख0 नं0 1514 का रकबा 1.31 है०, ख0 नं0 1804 का रकबा 0.15 है०, ख० नं० 1805 का रकबा 0.12 है०, ख0 नं0 1835 का रकबा 0.26 है०, ख0 नं0 1836 का रकबा 0.37 है०, ख0 नं0 1838/2137 का रकबा 0.10 है०, ख0 नं0 652 का रकबा 0.12 है० कुल किता 13 का रकबा 11.52 है0 आराजी वादी के हिस्सा 1/2 एवं मृतक प्रेमबाई के हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं, जो काबिल गौर हैं।

3 वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी के सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 का पुराना खाता संख्या 243 का ख० नं० 378 का रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, ख० नं० 381 का रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा, ख0 नं0 395 का रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा, ख0 नं0 410 का रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, ख0 नं0 413 का रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, ख0 नं0 414 का रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा, ख0 नं0 615 का रकबा 61 बीघा, ख0 नं0 473 का रकबा 1 बीघा, ख0 नं० 478 का रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0 नं0 781 का रकबा 8 बिस्वा, ख0 नं0 833 का रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, ख0 नं० 882 का रकबा 1 बिस्वा बाडा, ख0 नं0 889 का रकबा 3 बिस्वा बाड़ा, ख० नं० 890 का रकबा 1 बिस्वा बाड़ा, ख0 नं0 924 का रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, ख0 नं0 925 का रकबा 10 बिस्वा, ख0 नं0 1120 का रकबा 1 बीघा 17

बिस्वा, ख० नं० 1133 का रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख0 नं0 1135 का रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख0 नं0 1136 का रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख0 नं0 1138 का रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0 नं0 1142 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0 नं0 1173 का रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, ख0 नं0 1138/1272 का रकबा 1 बिस्वा, ख0 नं0 424/1289 का रकबा 1 बीघा कुल किता 25 का रकबा 192 बीघा 5 बिस्वा आराजी वादी शिवप्रसाद वल्द किशोरीलाल व मुसम्मात केसर बाई हिस्सा 85 बीघा 17 बिस्वा समभाग में अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित थी जो सही दर्ज हैं।

4 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 07.04.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया है और फौती इंतकाल संख्या 2015 दिनांक 19.01.2022 भी विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से खारिज किया है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल दीलोदहाथी, तहसील अटरू की खाता संख्या 548 का ख0 नं0 1008 का रकबा 0.04 है०, ख0 नं0 1016 का रकबा 0.04 है०, ख0 नं0 1506 का रकबा 0.52 है०, ख० नं० 1508/2114 का रकबा 0.08 है०, ख0 नं0 1510 का रकबा 2.17 है०, ख0 नं0 1512 का रकबा 6.24 है०, ख0 नं0 1514 का रकबा 1.31 है0, ख0 नं0 1804 का रकबा 0.15 है०, ख0 नं0 1805 का रकबा 0.12 है०, ख0 नं0 1835 का रकबा 0.26 है०, ख0 नं0 1836 का रकबा 0.37 है०, ख0 नं0 1838/2137 का रकबा 0.10 है०, ख0 नं0 652 का रकबा 0.12 है० कुल किता 13 का रकबा 11.52 है० में सह खातेदार वादी व प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 के संयुक्त हिस्से 6/12 अर्थात 1/2 के स्थान पर वादी शिवप्रसाद पुत्र किशोरीलाल हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादिया क्रम 1 चांद बाई पुत्री किशोरीलाल हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

5 अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायलय ने वादी रेस्पो0 नं० 1 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमा कर फोती इंतकाल सं0 2015 दिनांक 19-1-2022 भी विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से खारिज किये जाने का विवादित आराजी ग्राम दीलोदहाथी, तहसील अटरू, जिला बारां की खाता सं0 548 की खसरा नम्बर 1008 की 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1016 की 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1506 की 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 1508/2114 की 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1510 की 2.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 1512 की 6.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1574 की 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 1804 की 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1805 की 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1835 की 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1836 की 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 1838/2137 की 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 652 की 0.12 हैक्टर जुमला 13 किता की 11.52 हेक्टर भूमि में सहखातेदार वादी व प्रतिवादी नं० 2 लगायत 6 के संयुक्त हिस्से 6/12 अर्थात 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी रेस्पो० नं० 1 शिव प्रसाद हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी रेस्पो० नं० 2 चांद बाई हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है।

6 अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 सुनीता ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां की निवासी नहीं है बल्कि शादी के उपरान्त से ही प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 सुनीता अपने ससुराल ग्राम गणेशखेडा पोस्ट लुहावद, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा में निवास कर रही है। अपीलान्ट नं० 2 ग्राम गणेशखेडा, पोस्ट लुहावद, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा की निवासीनी है। प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 2 का पीहर ग्राम दीलोदहाथी, तहसील अटरू में है। प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 ने ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां में कभी भी निवास नहीं किया है। इसके उपरान्त भी वादी रेस्पो० नं० 1 ने बावजूद जानकारी के प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 सुनीता का वाद एवं सम्मन पर गलत पता अंकित कर सर्वथा गलत एवं त्रुटि पूर्ण रूप से धोखाधड़ी कर फ्रोड प्ले कर प्रोसेज सवर से मिली भगत कर किसी फर्जी व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 के सम्मन की तामील करवा दी तथाकथित गलत तामील के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 सुनीता को सम्मन की तामील होना मान कर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी रेस्पो० नं० 1 प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 1 का पिता है। उक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

7 अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 2 हेमलता ग्राम लाडपुर, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी की निवासी नहीं है बल्कि शादी के उपरान्त से ही प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 2 हेमलता अपने ससुराल ग्राम मालिकपुरा, पोस्ट नोताडा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी में निवास कर रही है। अपीलान्ट नं० 1 ग्राम मालिकपुरा, पोस्ट नोताडा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी की निवासीनी है। प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 2 का पीहर ग्राम दीलोदहाथी, तहसील अटरू में है। प्रतिवादी

अपीलान्ट नं० 2 ने ग्राम लाडपुर, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी में कभी भी निवास नहीं किया है। इसके उपरान्त भी वादी रेस्पो० नं० 1 ने बावजूद जानकारी के प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 2 हेमलता का वाद एवं सम्मन पर गलत पता अंकित कर सर्वथा गलत एवं त्रुटि पूर्ण रूप से धोखाधडी कर फ्रोड प्ले कर प्रोसेज सवर से मिली भगत कर किसी फर्जी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति पर प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 2 के सम्मन की तामील करवा दी तथाकथित गलत तामील के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नं० 3 हेमलता (अपीलान्ट न० 2) सम्मन की तामील होना मान कर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी रेस्पो० नं० 1 प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 2 का पिता है। उक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

8 अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 3 कमलेश ग्राम रेलावन, तहसील किशनगंज, जिला बारां की निवासी नहीं है बल्कि शादी के उपरान्त से ही प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 3 कमलेश अपने ससुराल ग्राम गणेशखेडा, पोस्ट लुहावद, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा में निवास कर रही है। अपीलान्ट नं० 3 कमलेश ग्राम गणेशखेडा, पोस्ट लुहावद, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा की निवासीनी है। प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 3 का पीहर ग्राम दीलोद हाथी, तहसील अटरू में है। प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 3 ने ग्राम रेलावन, तहसील किशनगंज, जिला बारां में कभी भी निवास नहीं किया है। इसके उपरान्त भी वादी रेस्पो० नं० 1 ने बावजूद जानकारी के प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 3 कमलेश का वाद एवं प्रेषित सम्मन पर गलत पता अंकित कर सर्वथा गलत एवं त्रुटि पूर्ण रूप से धोखाधडी कर फ्रोड प्ले कर प्रोसेज सवर से मिली भगत कर किसी फर्जी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति पर प्रतिवादी अपीलान्ट न० 3 के सम्मन की तामील करवा दी तथाकथित गलत तामील के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी न० 3 हेमलता पर सम्मन की तामील होना मान कर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी रेस्पो० नं० 1 प्रतिवादी अपीलान्ट न० 3 का पिता है। उक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। इसके बावजूद भी उसके द्वारा गलत रूप से तामील करवाई गयी । उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

9 अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 4 सन्जू ग्राम देही, तहसील नैनवा, जिला बून्दी की निवासी नहीं है बल्कि शादी के उपरान्त से ही प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 4 सन्जू अपने ससुराल ग्राम बडून्दा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी में निवास कर रही है। अपीलान्ट नं० 4 सन्जू ने ग्राम देही, तहसील नैनवा, जिला बून्दी में कभी भी निवास नहीं किया है। प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 4 सन्जू ग्राम बडून्दा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी की निवासी है। इसके उपरान्त भी वादी रेस्पो० नं० 1 ने बावजूद जानकारी के प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 4 सन्जू का वाद पत्र एवं प्रेषित सम्मन पर गलत पता अंकित कर सर्वथा गलत एंव त्रुटि पूर्ण रूप से धोखाधडी कर फ्रोड प्ले कर प्रोसेज सवर से मिली भगत कर किसी फर्जी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति पर प्रतिवादी अपीलान्ट न० 4 के सम्मन की तामील करवा दी तथाकथित गलत तामील के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी नं0 4 सन्जू पर सम्मन की तामील होना मान कर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी रेस्पो० नं० 1 प्रतिवादी अपीलान्ट न० 4 का पिता है। उक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। इसके बावजूद भी उसके द्वारा गलत रूप से तामील करवाई गयी। उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

10 अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 5 मनीषा ग्राम पेच की बावडी, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी की निवासी नहीं है बल्कि शादी के उपरान्त से ही प्रतिवादी अपीलान्ट नं0 5 मनीषा अपने ससुराल ग्राम ठीकरिया कला, तहसील तालेडा, जिला बून्दी में निवास कर रही है। अपीलान्ट नं० 5 मनीषा ग्राम ठीकरिया कला, तहसील तालेडा, जिला बून्दी की निवासीनी है अपीलान्ट नं० 5 मनीषा ग्राम पेच की बावडी, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी में कभी भी निवास नहीं किया है। इसके उपरान्त भी वादी रेस्पो० नं० 1 ने बावजूद जानकारी के प्रतिवादी अपीलान्ट नं० 5 मनीषा का वाद पत्र एवं प्रेषित सम्मन में जानबूझ कर गलत पता अंकित कर सर्वथा गलत एवं त्रुटि पूर्ण रूप से धोखाधड़ी कर फ्रोड प्ले कर प्रोसेज सवर से मिली भगत कर किसी फर्जी व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर प्रतिवादी अपीलान्ट न० 5 के सम्मन की तामील करवा दी तथाकथित गलत तामील के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी नं० 5 मनीषा पर सम्मन की तामील होना मान कर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी रेस्पो० नं० 1 प्रतिवादी अपीलान्ट न० 5 का पिता है। उक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

11 इस प्रकार वादी रेस्पो0 नं० 1 ने प्रतिवादीगण अपीलान्टान एवं अधीनस्थ न्यायालय के साथ वाद पत्र एवम् प्रतिवादीगण अपीलान्टान को प्रेषित सम्मन पर बावजूद जानकारी कर जानबूझ कर गलत पता अंकित कर धोखा किया है इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील सर्वथा गलत अवैध त्रुटि पूर्ण, मनमाना विधि विरूद्ध एवं अधिकार विहीन होने से एवं फ्रोड पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण अपीलान्टान कम पढ़ी–लिखी ग्रामीण परिवेश की महिलायें है, अखबार नहीं पढ़ती है, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र नहीं पढ़ती है, दैनिक नवज्योति अखबार का सरकूलेशन भी कम है। अखबार में प्रकाशित सम्मन में भी पता गलत दर्ज किया गया है, इस कारण प्रतिवादीगण अपीलान्ट को अखबार में प्रकाशित सम्मन की जानकारी नहीं हो सकी थी। प्रतिवादी अपीलान्टान की माता श्रीमती प्रेम बाई जो वादी रेस्पो० नं० 1 की पत्नी थी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में सही रूप से नियमानुसार दर्ज किया गया। प्रतिवादी अपीलान्टान की माता श्रीमती प्रेम बाई की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी अपीलान्टान की माता श्रीमती प्रेम बाई उपरोक्त भूमि की सहखातेदार थी। प्रतिवादीगण अपीलान्टान की माता का नाम स्वयं वादी रेस्पो० नं० 1 ने राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज करवाया था। अतः वादी रेस्पो० नं० 1 इसके विपरीत कथन करने से विबन्धित (एस्टोप्ड) है। वादी रेस्पो० नं० 1 शिव प्रसाद को उपरोक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व प्रमाण के सर्वथा गलत एवं गैरकानूनी रूप से दावा वादी रेस्पो० नं० 1 डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने फोती इंतकाल सं0 2015 दिनांक 19–1–2022 का विधि विरुद्ध होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से खारिज किये जाने का निर्णय व डिक्री प्रदान करने में त्रुटि की है। सहखातेदार श्रीमती प्रेम बाई जो अपीलान्टान की माता थी का फौती इंतकाल प्रतिवादीगण अपीलान्टान के पक्ष में सही रूप से नियमानुसार तस्दीक किया गया था जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण अवैध एवं शून्य होना मान कर खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्टान को सूचना दिये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रतिवादीगण अपीलान्टान पर सम्मन की गलत रूप से तामील होना मान कर प्रतिवादीगण अपीलान्टान उक्त वाद की विधिवत रूप से तामील हुये बिना ही उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

12 अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त फरमाया जाकर दावा वादी रेस्पो० नं० 1 खारिज फरमाया जावे। बसूरत दीगर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस दिशा निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित फरमाया जावे कि अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादीगण अपीलान्टान को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर, शहादत फरीकेन लेकर वादी रेस्पो० के गवाहान से प्रतिवादीगण अपीलान्टान के वकील साहब को जिरह करने का अवसर प्रदान कर बाद समाअत बहस अपील का गुणावगुण के निर्णय पारित करें।

13 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.06.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

14 अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 व्यवहार विधि संहिता बाबत आवश्यक दस्तावेज होने से रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया–

1– छाया प्रति आधार कार्ड सन्जू पत्नी श्री घासीलाल जी, जाति जाट, निवासी बड़ून्दा, पोस्ट बागड, तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा, जिला बून्दी

2– छाया प्रति आधार कार्ड मनीषा चौधरी पत्नी श्री भागीरथ, जाति जाट, निवासी ढीकरिया कला, तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा, जिला बून्दी

3– छाया प्रति आधार कार्ड सुनीता बाई पत्नी श्री गणेश राम जी, जाति जाट, निवासी जाटों का मोहल्ला, गणेश खेडा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

4– छाया प्रति आधार कार्ड हेमलता पत्नी श्री रामराज निवासी मालिकपुरा नोताडा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

5– छाया प्रति आधार कार्ड कमलेश पत्नी श्री लालवीर, निवासी गणेश खेडा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

15 उपरोक्त दस्तावेजात सुसंगत है प्रकरण हाजा से संबंधित है। अपील के समुचित निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्त दस्तावेजात से अपीलान्ट के निवास स्थान के तथ्य की पुष्टि होती है। वादीगण रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण अपीलान्टस का पता गलत अंकित किया गया है। उपरोक्त दस्तावेज जेन्यूईन है सरकारी रिकार्ड की छाया प्रतियां है।

16 अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने व शहादत में एडमिट किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

17 दिनांक 17.10.2023 को आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर न्यायहित में स्वीकार किया गया ।

18 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

19 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 2003 (4) एस.सी. पेज 509, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (1) राज. पेज 131, आर.बी.जे. (25) 2018 पेज 173, आर.एल.डब्ल्यू. 2002 आर.जे. पेज 100, आर.आर.डी. 1975 पेज 287, आर.आर.टी. 2023(1) पेज 27 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

20 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया।

22 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश कर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी कुल किता 13 का रकबा 11.52 हेक्टर में मृतक प्रेमबाई का नाम हटाकर उसके हिस्से 1/2 की आराजी पर वादी को हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी कम 1 चांद बाई का हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी को कुल हिस्सा 3/4 पर खातेदार कृषक घोषित करने एवं प्रतिवादी कम 1 ता 6 को इस आशय की आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी से बेदखल नहीं करें तथा आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादी को आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवें, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें और न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

23 अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर फोती इंतकाल संख्या 2015 दिनांक 19.01.2022 को विधि विरूद्ध मानते हुए खारिज कर वादग्रस्त आराजी कुल किता 13 की 11.52 हेक्टर भूमि में सहखातेदार वादी व प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6 के संयुक्त हिस्से 6/12 अर्थात् 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 शिवप्रसाद हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 2 चांदबाई हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय व डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है।

24 अपीलांट/प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6, वादी रेस्पोडेंट नं. 1 की पुत्रियॉं हैं। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने जानबूझकर अपनी पुत्रियों (अपीलांट) का पता गलत दर्ज करवाया जिससे उन्हें सम्मन की तामील नहीं हो सकी। सम्मन की तामील के अभाव में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर

प्राप्त नहीं हुआ और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट को सुने बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

25 विद्वान अभिभाषक अपीलांट के उक्त कथन के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली में सलंग्न वाद पत्र के अनुसार अपीलांट प्रतिवादी 2 लगायत 6 का नाम पते का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रतिवादी अपीलांट नं. 1 सुनीता पत्नि गणेशराम, जाति जाट, निवासी दीलोदहाथी हाल ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

प्रतिवादी अपीलांट नं. 2 हेमलता पत्नी श्री रामराज, जाति जाट, निवासी दीलोदहाथी हाल ग्राम लाडपुर, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी

प्रतिवादी अपीलांट नं. 3 कमलेश पत्नी श्री लालवीर, जाति जाट, निवासी दीलोदहाथी हाल ग्राम रेलावन, तहसील किशनगंज, जिला बारां

प्रतिवादी अपीलांट नं. 4 सन्जू बाई पत्नी श्री घासीलाल, जाति जाट, निवासी दीलोदहाथी हाल ग्राम देही, तहसील नैनवा, जिला बून्दी .

प्रतिवादी अपीलांट नं. 5 मनीषा पत्नी श्री भागीरथ, जाति जाट, निवासी दीलोदहाथी हाल ग्राम पेच की बावडी, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

26 विद्वान् अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीलांट के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतियों के अनुसार अपीलांट प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6 का नाम, पते का विवरण निम्नानुसार है –

प्रतिवादी अपीलांट नं. 1 आधारकार्ड नं. 8040 4938 4967 सुनीता बाई पत्नि गणेशराम, निवासी जाटों का मोहल्ला, गणेशखेरा, कोटा राज. 325214

प्रतिवादी अपीलांट नं. 2 आधारकार्ड नं. 8033 5942 0844 हेमलता पत्नी रामराज, निवासी मालिकपुरा नोतादा, बून्दी राज. 323603

प्रतिवादी अपीलांट नं. 3 आधारकार्ड नं. 2457 7267 1080 कमलेश बाई पत्नी लालवीर, निवासी गणेशखेर, कोटा राज. 325214

प्रतिवादी अपीलांट नं. 4 आधारकार्ड नं. 5069 4828 9569 सन्जू C/O घासीलाल, निवासी बडून्दा, बून्दी राज. 323021

प्रतिवादी अपीलांट नं. 5 आधारकार्ड नं. 7393 7645 4348 मनीषा चौधरी पत्नी भागीरथ, निवासी ठिकरियाकला, ठीकरियाकला, बून्दी राज. 323021

27 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न वाद पत्र एवं विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीलांट नं. 1 लगायत 5 के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतियों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा वाद पत्र में अपीलांट प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6 का पता गलत अंकित किया गया है। गलत पते के कारण ही रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये सम्मन भी बिना तामील के ही अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुए, जो पत्रावली में सलंग्न है। रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये सम्मनों की तामील नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6 के सम्मन का प्रकाशन अखबार में साया कराने के आदेश जारी किये। इसकी पालना में वादी रेस्पोडेंट क्रम संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की तलबी हेतु सम्मनों का प्रकाशन दैनिक नवज्योति अखबार में दिनांक 02.02.2022 को करवाया गया, जिसकी प्रति पत्रावली में सलंग्न है। परन्तु अखबार में प्रकाशित सम्मन में भी अपीलांट प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 का पता वाद पत्र के अनुसार अर्थात् गलत ही साया किया हुआ है।

28 अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.03.2022 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2022 को अखबार में सम्मनों का प्रकाशन होने के एक माह बाद दिनांक 09.03.2022 को प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6 की तलबी होना मानकर बावजूद सूचना प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6 के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, परन्तु प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6 का पता अखबार में साया सम्मन में भी गलत रूप से प्रकाशित होने के कारण सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी नं. 2 लगायत 6 की तामील होना नहीं माना जा सकता। सम्मन तामील के

अभाव में प्रतिवादी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त नही हुआ। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार दूसरे पक्ष को सुनवायी का अवसर देना आवश्यक है। दूसरे पक्ष को सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को वैधानिक नहीं माना जा सकता। चाहे वह निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार सही ही क्यों न हो, दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

29 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2022 अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि सभी पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर देने के पश्चात नये सिरे से पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के न्यायालय में दिनांक 19.02.2024 को उपस्थित होवें।

30 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा